(87)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3735–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–2016 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक डोलरिया जिला, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 54/अ–12/15–16

.....

आनंद वल्द विष्णुप्रसाद दुबे
निवासी ग्राम सेमरी खुर्द
तहसील डोलरिया जिला होशंगाबाद
हाल मुकाम 29 राजा वंसल राय रोड़
सरत बोस रोड, वेस्ट बंगाल कलकत्ता

..... आवेदक

विरूद्ध

सावित्री बाई पत्नि हेमराज
निवासी ग्राम धुरगाड़ा तहसील डोलरिया
जिला होशंगाबाद

..... अनावेदक

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक–आवेदक
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 11/10/19 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक डोलरिया जिला, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रकरण दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराया जाकर दिनांक 4–6–16 को सीमांकन आदेश पारित किया गया ।

राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को सीमांकन कार्यवाही में किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है और ना ही पड़ोसी कृषकों को कोई सूचना दी गई है, आवेदक के पीठ पीछे सीमांकन की कार्यवाही की गई है । राजस्व निरीक्षक द्वारा स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं कराया गया है इसलिये राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर निराकरण करने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के परिवार के सदस्य विजय दुबे ने अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन देकर स्वीकार किया है कि उन्हें सीमांकन का नोटिस प्राप्त हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत् उभयपक्षों को सूचना दी जाकर स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन किया गया है, इसलिये आवेदक का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया सीमांकन वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक डोलरिया जिला, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर